

उत्तरप्रदेश के युवक की शराब पिलाने के बाद हत्या की वारदात का खुलासा

मृतक के दोस्त और साथी मजदूर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

भीलवाड़ा, (निस)। हमीरगढ़ थाना पुलिस ने बनास नदी क्षेत्र में उत्तरप्रदेश के प्रदीप पांडेय की शराब पिलाने के बाद चाकू से गोदकर हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त और साथी मजदूर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो यूपी और एक बिहार का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार, हमीरगढ़ क्षेत्र में बनास नदी की पुरानी पुलिस के नीचे गुरुवार को एक युवक की खूनसनी लाश मिली थी। शव पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने कान्याखेड़ी निवासी व मोबाइल शॉप संचालक कन्हैयालाल गुर्जर के जरिये शव की पहचान उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले के चौरावनपुर निवासी प्रदीप (28) पुत्र चंद्रभान पांडे के रूप में की थी। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को साजो को भी मौके पर बुलाकर शव की पहचान करवाई। प्रदीप अभी पत्नी साजो के साथ कान्याखेड़ी चौराहा क्षेत्र में रहकर नितिन स्पींस में मजदूरी कर रहा था। साजो को रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र



हमीरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया।

सिंह ने वारदात को गंभीरता से लेते हुये इसके खुलासे के लिए एएसपी पारस जैन के निर्देशन, डीएसपी सदर श्यामसुंदर बिस्नोई के सुपरविजन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की थी। टीम ने

अथक प्रयास कर तीन संदिग्धों को हाथरस व फर्रुखाबाद से डिटेन किया। तीनों को पुलिस यहां ले आई। पूछताछ करने पर तीनों ने वारदात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने बिहार के मधुबनी जिले के ठाढ़ी निवासी मुख्य

आरोपित मनोज (27) पुत्र पंच कामत, उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के बरोली निवासी विकास (19) पुत्र गुलबीर सिंह बदाई और फर्रुखाबाद जिले के गोपालपुरा निवासी गोविंद (23) पुत्र बिरपाल कश्यप को

युवक की शराब पिलाने के बाद आरोपियों ने चाकू से गोदकर हत्या की थी

गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपित भी मृतक के साथ फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आरोपित मनोज, अपने दो साथियों विकास व गोविंद के साथ प्रदीप पांडे को वारदात वाले दिन अपने साथ बनास नदी में ले गया, जहां प्रदीप को इन लोगों ने शराब पिलाई। इसके बाद जब प्रदीप शराब के नशे में मदहोश हो गया तो उसे पर चाकू से कई बार किये, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपित मनोज व मृतक प्रदीप एक साथ नितिन स्पींस में काम करते थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। आरोपित, मनोज, प्रदीप पांडे की पत्नी से एक तरफ प्यार करता था। वह प्रदीप की पत्नी को पाना चाहता था। इसी के चलते मनोज ने षडयंत्र रचकर प्रदीप को मौत के घाट उतार दिया।

दुल्हा व दुल्हन ने अलग-अलग मतदान केंद्रों पर वोट डाला



सुलताना कस्बे के एक बूथ पर दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची।

झुंझुनूं, (निस)। झुंझुनूं उपचुनावों में कई रीचक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शान्ति के सीजन शुरू हो चुका है। मंगलवार को देवउठनी एकादशी के मौके पर अबूझ सावों का मुहूर्त था। ऐसे में बड़ी संख्या में बुधवार को दुल्हा व दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे। इसी तरह इंदिरा नगर निवासी मनीष टोबड़ेवाला की भी भारत आज जयपुर जा रही है। भारत रवाना होने से पहले दुल्हा बनने जा रहा मनीष टोबड़ेवाल अपने परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचा और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केवल मनीष टोबड़ेवाल ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के झुंझुनूं

शहर में रहने वाले दो दर्जन से अधिक सदस्य अपने अपने बूथों पर पहले वोट डालकर आए। फिर मनीष के साथ भारत में रवाना हुए कलेक्टर रामावतार मीणा ने मनीष को ना केवल शादी की बधाई दी और कहा कि सभी को मनीष जैसे मतदाताओं से प्रेरणा लेकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। बारातियों की बात करें तो मनीष टोबड़ेवाल के चचेरे भाई अंकुर टोबड़ा, मनीष की भाभी प्रियंका टोबड़ा सहित अन्य ने भी वोट डाले।

इसी क्रम में सुलताना कस्बे के बूथ संख्या 119 में एक दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। सुलताना की

पिंटू कंव्वर की शादी बीती रात को ही हुई थी। जिसने सात फेरे लिए और सुबह घर से विदाई के बाद वह सीधे मतदान केंद्र पहुंची। जहां पर उसने वोट डाला फिर अपने समुदाय नागीर के लिए रवाना हुई। वोट डालवाने के लिए दुल्हा भी साथ पहुंचा। फूलों से सजी-धजी गाड़ी सुबह-सुबह जब मतदान केंद्र पहुंची तो सभी के लिए उत्सुकता रही। इधर, वोट डालने के बाद पिंटू कंव्वर ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है। इसलिए उसने मेहंदी रचे हाथों पर लोकतंत्र की स्याही की मेहंदी भी लगवाकर खुश है। सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

दुकानों के शटर तोड़ 10 लाख के मोबाइल सहित सामान चोरी

मकराना पुलिस टीम ने दोनों दुकानों और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया

मकराना, (निस)। शहर में पिछले तीन दिनों से चोरों ने मोबाइल दुकानों को अपना निशाना बना रखा है। मंगलवार देर रात को चोरों ने घाटी चौराहा के पास स्थित पुनि मोबाइल और अल्फा मोबाइल की दुकानों के शटर तोड़ दिए और भीतर घुसकर लाखों के मोबाइल, उपकरण और एसेसरीज चुराकर ले गए।

दो दिन पहले भी ट्रक यूनियन ने ट्रक का शटर तोड़ चार लाख रूपए के मोबाइल चोरी हो गये थे

मकराना थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुनि मोबाइल संचालक महावीर पारीक और दीपक पारीक को वारदात से करीब 10 लाख रूपए का नुकसान हुआ है। वहीं अल्फा मोबाइल दुकान के संचालक कमल किशोर माली के भी पुराने मोबाइल व एसेसरीज का नुकसान हुआ है। महावीर पारीक मोबाइल कारोबार में मकराना का बड़ा व्यापारी हैं। सुबह उसकी दुकान के शटर टूटे देखकर

लोगों ने उसे सूचना दी। जिस पर वह दुकान पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मकराना थाने से पुलिस टीम ने दोनों दुकानों और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। चोरों ने वारदात से पहले दुकानों की बिजली सप्लाई काटी और अंदर घुस कर सीसीटीवी कैमरे तोड़े। उन्होंने कैमरों के मेमोरी कार्ड निकाल लिए। इसके बाद में नए और पुराने मोबाइल सहित महंगे पैन ड्राईव सहित मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज

चुरा ली।

महावीर ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 10 लाख रूपए का नुकसान हुआ है। उसके पड़ोस में ही कमल किशोर माली की दुकान है जिसकी दुकान में भी चोरों ने सेंधमारी की है। उसने बताया कि उसकी दुकान में अधिकांश पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व मोबाइल एसेसरीज थी, जिन्हें चोर चुरा ले गए हैं। आरोपियों ने दोनों शटर किसी मजबूत रॉड से तोड़े हैं तथा दोनों चोरियां एक ही तरीके से की गई हैं। इससे दो दिन पहले ही ट्रक यूनियन में दुकान का शटर तोड़कर चोर 4 लाख रूपए के मोबाइल चुरा ले गए थे। मकराना थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि घाटी चौराहा में चोरी की घटना को लेकर पुलिस अनुसंधान जारी है।

कार में लगी आग, चालक बाल-बाल बचा

कोटा, (निस)। गुमानपुरा इलाके की छानवी फ्लाईओवर पर बुधवार सुबह एक चलीत कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार चालक ने कार को रोका और कार से नीचे उतर गया।

अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि छानवी फ्लाईओवर पर एक डीलर की कार में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एक दमकल को मौके पर रवाना किया गया और 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कार चालक कुनाल मिश्रा एरोडूम से कोटड़ी की ओर जा रहा था, तभी फ्लाईओवर पर कार के बोनट पर से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिस पर उसने तुरंत कार को रोका और नीचे उतरा इतनी देर में ही कार में आग की लपटें निकलने लगीं। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर भेजी और आग पर काबू पा लिया गया।

एसीबी द्वारा जब्त संदिग्ध राशि को लेकर चर्चाओं का दौर जारी

महिला थाने के एसएचओ भंवर सिंह व रिडर जयसिंह को निलम्बित किया

महिला पुलिस थाने पर 15 लिफाफों में मिले 4.54 लाख एवं एसएचओ भंवर सिंह के निवास पर मिले एक लाख 17 हजार रूपये की संदिग्ध राशि का मामला

लेकर लम्बे समय से कोई ना कोई चर्चा और विवाद बने रहते हैं। महिला पुलिस थाने पर बीस साल के रिकार्ड में केवल कार महिला एसएचओ रही हैं, जबकि एक दर्जन से अधिक पुरुष एसएचओ एवं अन्य पुरुष स्ट्राफ तैनात रहता है। जिससे महिला थाने पर आने वाली महिला उत्पीड़न एव अन्य महिला अपराधों को लेकर भी चर्चा होती रहती है।

इस महिला थाने पर महिला स्टाफ को सर्वाधिक नियुक्ति होनी चाहिए। एसीबी की महिला पुलिस थाने पर हुई कार्रवाई के बाद राज्य स्तर पर माना जा रहा है कि भरतपुर जिले में अब तक हुई

एसीबी की कार्रवाईयों में यह ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें लिफाफों में बंद रिश्तत की राशि में मुकदमा नम्बर और रिश्तत की रकम भी लिखी हुई मिली। एसीबी की इस कार्रवाई को लोगों में सराहनीय माना जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद में पुलिस के आलाधिकारियों ने इस महिला थाने के मामले को गंभीरता से लिया है और एसीपी मुदुल कच्छावा ने त्वरित एक्शन लेते हुए महिला थाने के एसएचओ भंवर सिंह व रिडर जय सिंह को निलम्बित कर पुलिस लाइन में भेजने के आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पुलिस में यह भी चर्चा है कि

महिला पुलिस थाने के सभी स्टाफ को बदला जा सकता है। अब पुलिस के अधिकारी एसपी एवं आईजी इस कवायद में लगे हैं कि महिला पुलिस थाना पर स्वच्छ एवं अच्छी छवि वाले पुलिस स्टाफ को लगाया जाए और पुलिस थाना की समय पर मॉनिटरिंग की जाए।

जिससे आगामी समय में महिला पुलिस थाना कि छवि आम लोगों में सही बनी रह सके। मंगलवार को महिला थाने में मोटी रकम होने की सूचना पर एसीबी भरतपुर को टीम ने एसएचओ अमित चौधरी के नेतृत्व में महिला थाने पर छापेमारी कर जांच की थी। जिसमें जांच के दौरान एसीबी को थाने में बंद लिफाफों से 4 लाख से 30 हजार रूपये राशि मिली थी। वहीं थाना प्रभारी के क्वार्टर से 1 लाख 25 हजार रूपए मिले। इस प्रकार कुल पांच लाख पचपन हजार रूपये की राशि मिली।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो महिलाओं की मौत, 21 लोग घायल

भरतपुर, (निस)। संभाग के धौलपुर जिले को बसेड़ी थाना क्षेत्र के कोटरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार दो महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 21 लोग घायल हो गए। घायलों को बसेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में रैफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

भरतपुर जिले के गढ़ीबाजना क्षेत्र के जानुआ गांव निवासी राजेश अपनी गाड़ी को शादी में भात भरने के लिए

अपने रिश्तेदारों महिला-पुरुष एवं बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा जा रहे थे। बयाना सड़क मार्ग स्थित कोटरा गांव के नजदीक बेकाबू होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीण और राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को रेस्क्यू किया और एंबुलेंसी की मदद से घायलों को बसेड़ी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 35 वर्षीय गायत्री पत्नी

मलखान एवं 40 वर्षीय सुनीता पत्नी राजेश को मृत घोषित कर दिया। दोनों महिला के शवों को अस्पताल को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हालत गंभीर होने पर करीब एक दर्जन महिलाओं बच्चों व एक युवक को जिला आरबीएम अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। घायलों ने बताया कि दलान पर अचानक से गाय के ट्रैक्टर-ट्रॉली के सामने आ जाने पर उसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हादसे में में 4 वर्षीय चंचल, 32 वर्षीय इंदिरा, 28 वर्षीय मातर, 23 वर्षीय सुनीता, 4 वर्षीय कीर्ति, 30 वर्षीय राकेश, 14 वर्षीय चंचल, 8 वर्षीय कृष्णा, 60 वर्षीय केशवली, 28 वर्षीय पूजा, 10 वर्षीय संगीता, 32 वर्षीय पिकी, 25 वर्षीय हेमलता, 6 वर्षीय जितन, 28 वर्षीय सुभाष, 21 वर्षीय शशि, 8 वर्षीय सक्की, 25 वर्षीय गुडिया, 25 वर्षीय ओमवीर, 8 माह का नैसी, 18 माह को जागेंद्र, 3 माह की डोली घायल हुए हैं। करीब एक दर्जन घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रैफर कर दिया है।

दुष्कर्म का इनामी आरोपी गिरफ्तार

करौली, (निस)। मंडरायल थाना पुलिस ने एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर तीन हजार का इनाम घोषित था पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम ने बताया कि मंडरायल थाना क्षेत्र के गांव में गांव के ही एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर नौ माह पूर्व रात नौ बजे के करीब चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया जिसका थाने पर मुकदमा दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपी उसी समय से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 3 हजार रूपये का इनाम घोषित था जिस आरोपी को मंडरायल थाना पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश, कांस्टेबल वृंदावन, युधिष्ठिर, शिवराम ने गिरफ्तारी के लिए कई जगह तलाश की जो नहीं मिली।

मारपीट की सूचना पर कुलोद खुर्द के मतदान केंद्र पर पहुंचे राजेंद्र सिंह गुढ़ा

गुढ़ा ने मौके से ही कलेक्टर को फोन कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया

झुंझुनूं, (निस)। विधानसभा उपचुनावों के दौरान कुलोद खुर्द गांव स्थित मतदान केंद्र पर पूर्व मंत्री व निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पोलिंग एजेंट के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद खुद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा कुलोद खुर्द गांव पहुंचे।

उन्होंने अपने एजेंट और समर्थकों से बातचीत कर पूरी बात की जानकारी ली और कहा कि अन्य प्रत्याशियों के एजेंट व समर्थक बौखला गए हैं। उनके एजेंट में बूथ पर डाले जा रहे फर्जी वोटों को रोका तो उसके साथ मारपीट की गई। एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद धमकाया गया, जो सही नहीं है। उन्होंने मौके से ही जिला कलेक्टर

सिंह गुढ़ा के समर्थक और उनकी पत्नी निशा कंव्वर के इलेक्शन एजेंट लोकेश कुमार ने राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगाणा कर दिया। लोकेश कुमार ने आरोप लगाया कि बूथ पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे। जिसका विरोध राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट शीशराम ने किया तो अन्य एजेंट ने उसके कथित जड़ दिए, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों ने घेर लिया और धक्का-मुक्की की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों की समझौदा कर बूथ के बाहर इकट्ठा भीड़ की हटायी गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ।

पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में तीन को सजा

झुंझुनूं, (निस)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले का निस्तारण करते हुए तीन आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

कोर्ट ने तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

प्रकरण के अनुसार पुलिस लाइन क्वार्टर में निवासरत कांस्टेबल नाथूलाल मीणा ने 27 मार्च 2017 को कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि दोपहर में पुलिस लाइन अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था कि पुलिस लाइन के परकोटे के पास तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। जिस पर उसने अकारण बैठने पर फटकार लगाई। फटकार लगाने पर तीनों आरोपी बैरोसिंह पुत्र लोकेंद्र सिंह बाबरी खेड़ा थाना ऋषभदेव, खुमानपुर निवासी चंद्रपाल सिंह पुत्र सज्जन सिंह थाना आसपुर, नागेंद्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी वागदरी हाल जयहिंद नगर थाना कोतवाली ने उसके साथ जमकर मारपीट की तथा पूर्व केंद्रीय विद्यालय जो कि पुलिस लाइन परकोटे के पास स्थित था केंद्रीय विद्यालय के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और उसके जेब से 250 रूपए भी निकाल लिए। इस दौरान

पुलिसकर्मी नाथूलाल का दांया पांव भी मारपीट की वजह से टूट गया। उसके चिल्लाने पर विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहनलाल और विद्यालय के प्राचार्य आए। साथ ही सूचना मिलते ही कांस्टेबल शंकरलाल, लक्ष्मण, मांथीलाल मौके पर पहुंच गए। साथ ही पुलिस गश्त दल भी मौके पर पहुंचा और उसे चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सा प्रारंभ की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की गई। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता देखते हुए तीनों आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी एक अन्य पुलिसकर्मीयों के साथ भी मारपीट करने के अलावा अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है।

शिवसिंह मर्डर केस का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग ली गई बाइक भी बरामद की

गंगापुर सिटी, (निस)। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बुधवार को टोडाभीम में 24 सितंबर को हुये शिवसिंह सैनी हत्याकांड का पुलिस ने करीब दो माह बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग ली बाइक भी बरामद कर ली है।

पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने बताया कि 24 सितंबर को तीन व्यक्ति भगवान सहाय बाबरिया पुत्र रामकरण बाबरिया निवासी कालेडी पुलिस थाना पापड़वा जिला दौसा, शीशराम भील पुत्र प्रहलाद भील निवासी खोहरा मुल्ला पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा और धर्म सिंह बाबरिया पुत्र राकेश कुमार बाबरिया निवासी बुजेट पुलिस थाना गीजगढ़ जिला दौसा एक नाली टोपीदार बंदूक लेकर डेडान में जंगली लाइन का शिकार करने के लिए बाइक से निकले थे। इसके बाद तीनों शिवसिंह सैनी निवासी असरो वाला



शिव सिंह सैनी मर्डर काण्ड का एसपी ममता गुप्ता ने खुलासा किया।

सागर से शराब खरीदने के लिए रात करीब 11.30 बजे उसके घर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवसिंह सैनी को आवाज देकर जगाया और शराब मांगी।

शिवसिंह सैनी भगवान सहाय बाबरिया को शराब के दो पन्जे देते हुए 200 रूपए मांगे। इस पर भगवान सहाय ने शिवसिंह सैनी को 120 रूपए देते हुए

कहा कि दिन में तो उसने 2 पन्जों के इतने ही रूपए दिए थे, जबकि शिवसिंह शराब के 200 रूपए लेने की बात अढ़ा रहा। जिस पर दोनों में झगड़ा हो

शराब के रुपये देने की बात को लेकर विवाद हो गया था

गया। शिवसिंह घर से डंडा लेकर आया और तीनों के साथ मारपीट कर दी। वहीं तीनों लोगों ने भी शिवसिंह के साथ मारपीट कर दी। इस पर शिवसिंह सैनी का भाई सियाराम सैनी झगड़े की आवाज सुनकर मौके पर आया लेकिन उसे भगवान सहाय बाबरिया ने बंदूक से डरा कर भगा दिया। गुस्से में भगवानसहाय ने अपने कंधे पर रबी बंदूक से शिवसिंह सैनी के सिर में गोली चला दी, जिससे शिवसिंह को मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद तीनों बाइक पर बैठकर नाहर खोहरा की ओर भाग गए। घटना के बाद मृतक के भाई सियाराम सैनी पुत्र जगवान सैनी ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग

टीम गठित की और डीएसटी, स्पेशल टीम, साइबर आदि ने जगह-जगह दबिश दी। आखिर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी लगी कि घटना में आरोपी शीशराम भील मुड़फोडी का पुरा के झुंगरों में बैरोजी के मंदिर पर है।

टीम ने आरोपी को घेरकर गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयोग में ली गई बाइक को भी जप्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने बताया कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा शीशराम से पूछताछ कर तलाश कर रही है। पुलिस टीम में थानाधिकारी देवेन्द्र कुमार शर्मा, सर्वाई माधोपुर साइबर सेल प्रभारी अजीत मोगा, साइबर सेल के हैड कांस्टेबल विजय सिंह, साइबर सिंह, राजेश खन्ना, कांस्टेबल शिवसिंह, तेजराम सिंह, राजेश, सुमन, महेशचंद व कैलाश, शैलेन्द्र, पुरुषोत्तम, बलवीरसिंह आदि शामिल हैं।